18.08.2026

| |
|---|
| **न्यायालय–द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश (छ.ग.)**<br>**पीठासीन न्यायाधीश–प्रशांत पाराशर** |
| **जमानत याचिका क्रं.–1238/2026** |
| **आवेदक/आरोपी–**<br>**पवन दास मानिकपुरी आ० अगम दास मानिकपुरी, उम्र–55 वर्ष,**<br>पता– सिकोला बस्ती दुर्ग, थाना–मोहन नगर,<br>तहसील व जिला–दुर्ग (छ०ग०) |
| **विरूद्ध** |
| **अनावेदक/राज्य–जिला दण्डाधिकारी, जिला दुर्ग (छ.ग.)** |
| **आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 भा.ना.सु.सं. में पारित आदेश** |
| **आरक्षी केन्द्र–नेवई** |
| **अपराध क्रं.–306/2026** |
| **अंतर्गत धारा–318(2), 318(3), 3(5) भारतीय न्याय संहिता** |
| **जमानत आदेश दिनांक–18.08.2026** |

आवेदक/आरोपी पवन दास मानिकपुरी की ओर से श्री विवेकानंद चौबे अधिवक्ता ।

अनावेदक/राज्य की ओर से श्रीमती साधना शुक्ला, पैनल अतिरिक्त लोक अभियोजक पैनल।

प्रकरण जमानत आवेदन पत्र पर तर्क एवं सुनवाई हेतु नियत है ।

संबंधित न्यायालय से मूल अभिलेख एवं थाना नेवई से जमानत विरोध प्रतिवेदन प्राप्त।

उभयपक्ष के जमानत आवेदन पर तर्क श्रवण किया गया।

इस आदेश द्वारा आवेदक/आरोपी पवन दास मानिकपुरी की ओर से जमानत हेतु प्रस्तुत आवेदन, अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का निराकरण किया जा रहा है।

आवेदक/आरोपी पवन दास मानिकपुरी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक/आरोपी ऊपर दर्शित पते का स्थायी निवासी है, जिसे पुलिस थाना–नेवई, जिला–दुर्ग द्वारा दिनांक 13.06.2026 को गिरफ्तार कर माननीय विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा केन्द्रीय जेल दुर्ग में भेज दिये तब से निरूद्ध है। उपरोक्त आपराधिक प्रकरण में आवेदक/आरोपी को द्वेषवश फंसाया गया है, आवेदक/आरोपी को उक्त प्रकरण में फंसाकर जेल भेजे जाने की मंशा से उसका नाम दर्ज किया गया है। आवेदक/आरोपी के विरूद्ध साजिश के तहत झूठा अपराध पंजीबद्ध कराकर जेल भेजा गया है।

आवेदक/आरोपी के प्रकरण में विवेचना पूर्ण कर दिनांक 07.08.2026 को चालान पेश किया जा चुका है तथा प्रकरण के विचारण में काफी समय लगने की संभावना है आवेदक/आरोपी के परिवार के देख रेख करने वाला एवं

पालन पोषण करने वाला कोई नहीं है जिस कारण आवेदक/आरोपी को जमानत पर रिहा होना चाहता है, जिसके लिए आवेदक/आरोपी की ओर से यह आवेदन पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष सादर प्रस्तुत है । आवेदक/आरोपी सक्षम जमानत पर रिहा होकर अपना बचाव करना चाहता है अतः जमानत का लाभ दिया जाना न्यायहित में आवश्यक होगा ।

आवेदक/आरोपी को जमानत पर रिहा किए जाने बाबत आदेश पारित किए जाने पर आवेदक/आरोपी माननीय न्यायालय द्वारा अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन करेगी तथा माननीय न्यायालय द्वारा आदेशित सक्षम प्रतिभूति पेश करेगा एवं प्रकरण के साक्षियों को प्रभावित, प्रताड़ित एवं प्रलोभित नहीं करेगा, कहीं भागने या फरार होने की कोई संभावना नहीं है तथा माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण की सुनवाई हेतु नियत प्रत्येक पेशी तिथि पर माननीय न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

आवेदक/आरोपी की ओर से प्रस्तुत धारा 483 BNSS के तहत जमानत पर रिहा किए जाने बाबत माननीय सत्र न्यायालय के समक्ष यह प्रथम जमानत आवेदन पत्र है इस जमानत आवेदन पत्र के अतिरिक्त आवेदक/आरोपी की ओर से किसी भी माननीय सत्र न्यायालय के समक्ष अथवा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छ. ग. के समक्ष अन्य कोई जमानत आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही कोई आवेदन पत्र

लंबित है और न ही कोई जमानत आवेदन पत्र निराकृत अथवा निरस्त किया गया है। अतः आवेदक/आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र स्वीकार कर आवेदक/आरोपी को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया गया है ।

उक्त जमानत आवेदन पत्र के समर्थन में आवेदक/आरोपी की पत्नि श्रीमती तुलसी मानिकपुरी का शपथ पत्र पेश किया गया है ।

अनावेदक राज्य की ओर से पैनल अतिरिक्त अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत का विरोध करता हुए व्यक्त किया है कि अभियुक्त के विरुद्ध गंभीर प्रकृति का आरोप है । अतएव उक्त जमानत आवेदन निरस्त किये जावे।

माननीय छ०ग० हाई कोर्ट की साईट का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया आवेदक/आरोपी की जमानत मान० उच्च न्यायालय में न ही लंबित होना दर्शित है और ना ही निराकृत होना दर्शित है ।

उक्त आवेदन पत्र के परिप्रेक्ष्य में मूल अभिलेख एवं जमानत विरोध प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।

अवलोकन से दर्शित है कि प्रार्थी की शिकायत पर थाना नेवई के अपराध क्रमांक 306/2026 अंतर्गत धारा–318(2), 318(3), 318(4), 3(5) भारतीय दण्ड संहिता का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण में विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रकरण में

आवेदक/अभियुक्त का म्यूल खाते में संबंधित प्रथम दृष्टया तथ्य दर्शित है और प्रकरण में राशि को लेने के आधार पर छल में शामिल होने के तथ्य है ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थिति को देखते हुए आवेदक/अभियुक्त को इस स्तर पर जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होने से **आवेदक/अभियुक्त पवन दास मानिकपुरी** की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त किया जाता है ।

आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख में संलग्न कर विचारण न्यायालय को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

प्रकरण समाप्त।

परिणाम पंजी में दर्ज कर यह प्रकरण अभिलेखागार प्रेषित की जावे।

PRASHANT PARASHAR
Digitally signed by PRASHANT PARASHAR

**(प्रशांत पाराशर)**
**द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश**
**दुर्ग (छ.ग.)**